प्रेस नोट दिनांक-17.10.2024

थाना अलीनगर चन्दौली

पिकअप में क्रूरता पूर्वक गौवंशों को लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल परिवहन करने के प्रयास के दौरान अलीनगर पुलिस टीम की कार्यवाही में 01 पिकअप में 09 गौवंश बरामद करते हुए 01 तस्कर को गिरफ्तार किया गया

चन्दौली:- आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सदर व आशुतोष क्षेत्राधिकारी PDDU के पर्यवेक्षण में गौ तस्करों पर कार्यवाही के क्रम:- में प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर की टीम द्वारा 16.10.2024 को उ0नि0 मनीष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्रा0 एकौनी NH19 के पास मौजूद थे इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक महेन्द्रा पिकअप पर गोवंश लदे है जो बनारस के रास्ते बिहार से होकर पं० बंगाल वध हेतु जा रही है।
इस सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ सिंधिताली ओवर ब्रिज पहुंच कर वाराणसी के तरफ से चन्दौली की तरफ जाने वाली NH-19 के लेन पर वाहनों को रोककर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद एक सफेद रंग की महेन्द्रा पिकअप आती हुयी दिखाई दी। उक्त वाहन को रोकने का इशारा किया जिसपर वाहन चालक द्वारा आगे गाडियों की कतार देखकर वाहन चालक व परिचालक वाहन से उतरकर भागने लगे। जिसपर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर परिचालक को समय- 16:10 बजे पकड़ लिया गया तथा चालक वाहनों की भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बरामद वाहन पिकअप सं० UP67T0950 के अन्दर से 09 गोवंशों (जिसमे 04 गाय व 05 साड़ जिन्दा) को बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण:- पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मथुरा प्रसाद पुत्र मुन्ना विन्द ग्राम सहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्म्र 32 वर्ष के रूप में हुयी तथा फरार चालक का नाम विकास यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सिलौटा थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार बताया गया।

यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि बरामद वाहन स्वामी मोहन मल्लाह पुत्र लखन मल्लाह निवासी ग्राम लोहलन थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार के सहमति से लालगंज मिर्जापुर मे हरिओम यादव पुत्र अज्ञात ग्राम तिलठी थाना चिल्ह जिला मिर्जापुर द्वारा गोवंशो को लदवाया गया इन गोवंशो को राजा कुरैशी पुत्र जाकिर कुरैशी, चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार में मिलता है। जिसके मदद से गोवशो को पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाया जाता है। अभियुक्त की तालाशी के दौरान 300 ₹ व एक स्मार्ट फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मथुरा प्रसाद पुत्र मुन्ना विन्द ग्राम सहबाजपुर थाना चाँद जिला कैमूर भभुआ बिहार उम्म्र 32

पंजीकृत अभियोग-
मु.अ.सं 273/24 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अलीनगर चन्दौली।

बरामदगी

01 वाहन पिकअप सं० UP67T0950

09 गोवंशों (जिसमे 04 गाय व 05 साड़ जिन्दा)

300 ₹ नकद

01 स्मार्ट फोन

पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. मनीष सिंह चौकी प्रभारी जफरपुरवा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.हे0का0 विकास कन्नौजिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 प्रद्युम्न द्विवेदी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

5.का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 71 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थो /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 16.10.2024 समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत थाना चन्दौली-08, थाना मुगलसराय-10, सकलडीहा-06, थाना धानापुर-15 थाना धीना-07, थाना कन्दवा-05 थाना चकिया-12, थाना शहाबगंज-06 थाना इलिया-02 कुल 71 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु ले जा रहे 21 राशि गोवंश बरामद करते हुए 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व राजीव सिसोदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के पर्यवेक्षण में गौ तस्करों पर कार्यवाही के क्रम:- में अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया* की टीम द्वारा 16.10.2024 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार, उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता मय हमराह गरला तिराहे के पास मौजूद थे इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि कुछ गोतस्कर राजदरी देवदरी नौगढ के जंगल के रास्ते बिहार से होकर पं० बंगाल वध हेतु जा रहे है।
इस सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जिलेबिया मोंड के पास पशु तस्करों का इंतजार किया जाने लगा। कुछ देर बाद जंगल की तरफ से गोवंशो के कराहने की आवाज सुनाई दी। मौजूदा पुलिस टीम द्वारा गोवंशों के कराहने की आवाज वाली दिशा में अचानक घेराबंदी करके 21 राशि गोवंशों को बरामद करते हुए 02 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण:-
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त राम नारायण पुत्र स्व0 मल्लू निवासी ग्राम-मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर उम्र 49 वर्ष व हवलदार पुत्र स्व0 सुखई निवासी ग्राम-ढेडुआ भरारी थाना चांद जनपद कैमूर बिहार उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई।
यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ सोनभद्र से सस्ते दामों पर गोवंशो को खरीद कर राजदरी देवदरी नौगढ जंगल के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाया जाता है।
अभियुक्त की तालाशी के दौरान 110 ₹ व एक की पैड फोन बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
1-राम नारायण पुत्र स्व0 मल्लू निवासी ग्राम-मदारपुर थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर उम्र 49 वर्ष
2-हवलदार पुत्र स्व0 सुखई निवासी ग्राम-ढेडुआ भरारी थाना चांद जनपद कैमूर बिहार उम्र 50 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-
मु.अ.सं 187/24 धारा 3/5/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चकिया चन्दौली।

अभि0 रामनारायण का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 360/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर
2.मु0अ0सं0 361/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर
3.मु0अ0सं0 22/2008 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

अभि0 हवलदार का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 184/22 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 थाना अहरौरा मिर्जापुर
2.मु0अ0सं0 224/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर
3.मु0अ0सं0 1188/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राबर्ट्स गंज जनपद सोनभद्र

बरामदगी-

21 गोवंश

110 ₹ नकद

01 की पैड फोन

पुलिस टीम-

1-अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया

2-उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता

3-हे0का0 सूरज कुमार

4-हे0का0 दीपचन्द्र गिरी

5-हे0का0 रामतीर्थ

6-हे0का0 फिरोज अहमद

7-का0 रवीन्द्र कुमार

8-का0 राकेश यादव

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद-चन्दौली

थाना कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

☐210 किलो अवैध गाँजा के साथ दो तस्करों को चन्दौली पुलिस ने किया गिरफ्तार

☐बरामद अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 53 लाख के करीब है

आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार, विनय कुमार सिह अपर पुलिस अधीक्षक एवं राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह की पुलिस टीम द्वारा वाजिदपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक डम्फर ट्रक जिसका टायर फटा हुआ था। जो तेजी से हाइवे पर जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास करने पर ट्रक चालक स्पीड बढाकर भागने का प्रयास करने लगा।
पुलिस टीम द्वारा पीछा करके डम्फर को रोक लिया गया। संदिग्ध डम्फर ट्रक के ढाले को प्रेशर से उठवाने पर देखा गया कि ढाले के नीचे गोपनीय बाक्स बना हुआ था जिसके अन्दर 07 हरे रंग के प्लास्टिक के बोरा बरामद किया गया ।वाहन चालक व परिचालक से पूछताछ में उनकी पहचान कृष्णा महतो पुत्र अरुण कुमार महतो नि0 बांधडीह थाना जरडीह जनपद बोकारो झारखण्ड उम्र करीब 49 वर्ष व परिचालक अमित कुमार तिवारी पुत्र त्रिभुवन तिवारी नि0 धमौर थाना शाहपुर जनपद आरा बिहार उम्र 29 वर्ष के रूप में ज्ञात हुआ।
बरामद बोरे के बारे में बताया कि सभी बोरे में गांजे का पैकेट भरा हुआ है जो हम लोग उडीसा से लादकर वाराणसी लेकर जा रहे है तथा उक्त वाहन बोकारो चांस में राजू मिस्त्री की दुकान के सामने खडी मिली थी जहां से गाडी लेकर उडीसा बलांगी के एक होटल पर पहुचे जहा राजू सिंह से जानकारी मिलती रहती थी, वही गांजा खरीद कर हम लोगो को दिलाते है। होटल पर दो अज्ञात व्यक्ति आये व गाडी लेकर चले गये कुछ घण्टो के बाद गाडी हम दोनो को मिली हम लोग गाडी लेकर वाराणसी जाने के लिये बताया गया। माल की डिलेवरी कहा करना है इस बात की जानकारी वाराणसी टोल प्लाजा के पास पहुचने पर डिस्ट्रीव्युटर संजय सिंह से मिलती।
उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी दिनांक 17/10/2024 समय 04.50 बजे किया गया उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 253/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.कृष्णा महतो पुत्र अरुण कुमार महतो नि0 बांधडीह थाना जरडीह जनपद बोकारो झारखण्ड उम्र करीब 49 वर्ष
2.अमित कुमार तिवारी पुत्र त्रिभुवन तिवारी नि0 धमौर थाना शाहपुर जनपद आरा बिहार उम्र 29 वर्ष

अपराधिक विवरण-

मु.अ.स. 253/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

1.210 किलो गाँजा। 2.डम्फर ट्रक वाहन संख्या JH04 AB 3090

पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 गगनराज सिंह प्रभारी निरीक्षक चन्दौली
2.श्री रावेन्द्र सिंह कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली।

3.उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना व जिला चन्दौली चन्दौली
4.उ0 नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी स्वाट/सर्विलांस मय हमराह।
5.का. कुलदीप थाना व जिला चन्दौली।
6.का0 नीलकमल यादव थाना व जिला चन्दौली ।
7.का0 गौरव शुक्ला थाना व जिला चन्दौली ।
8.मुख्य आरक्षी बिजेंद्र सिंह -स्वाट/सर्विलांस
9.मुख्य आरक्षी राजेश यादव- स्वाट/सर्विलांस
10.मुख्य आरक्षी राणा सिंह- स्वाट/सर्विलांस
10.आरक्षी अजीत सिंह- स्वाट/सर्विलांस

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद-चन्दौली